91/2016 जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 91/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

13

A3

07–02–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 23.04.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से चाही गई 6 बिन्दुओ की सूचनांए उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 23.04.2016 के द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर का पंत्राक एफ 6(1)(58)रोल/निर्वा./2009/586 दिनांक 05.02.2016 आपके कार्यालय में पहुचनें की तारीख व आरआर नं. की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र–प्राप्ति से इस आवेदन का जबाब देने तक जिस–जिस कर्मकार द्वारा व अधिकारी द्वारा जो–जो कार्यवाही की गई उसका नाम व पद की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. पत्र में अकिंत क्रमाकं 23/राज/2014/एन एस–1/585 दिनांक 28.01.2016 पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि व सूचना।
4. पत्रांक भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पंत्राक में वर्णित कथनों की सूचना व उस पर आप द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना।
5. भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्रांक में अकिंत तथ्यों के बारे में कार्यवाही न करने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि जिस नियम के अन्तर्गत कार्यवाही नही की गई है।
6. इस सम्बंध में दोषी कर्मकारों के नाम व पद की सूचना जिसने भारत निर्वाचन आयोग के पत्र पर कार्यवाही नही की है।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 2660 दि0 01.06.2016 प्रस्तुत कर प्रार्थना की गयी है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके द्वारा पत्र सं0 2401 दिनांक 13.05.2016 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी जिसमें संबंधित अभिलेखो का निरीक्षण कर प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतू लिखा गया था।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 2401 दिनांक 13.05.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
91/2016

आप द्वारा चाही गई उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 की सूचना के संबध में:– आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर, ढूढंकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, सविंदा,रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोकसूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुच हो अथार्त दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है। यदि आप इस सूचना से असंतुष्ट है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान, जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 13.05.2016 सही है। फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 07.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर